

न्यायालय : अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश  
(समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी)

प्रकरण क्रमांक : 52ए/2015

संस्थित दिनांक : 11.10.2013

- 1-अमरसिंह आयु 70 साल
- 2-करनसिंह आयु 60 साल
- 3-सुधारामसिंह आयु 55 साल
- 4-श्रीराम आयु 50 साल पुत्रगण नादरी, समस्त जाति कुशवाह, निवासीगण ग्राम गंगापुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

— वादीगण

#### बनाम

- 1-धनीराम
- 2-रमेश पुत्रगण रामभरोसी जाति कुशवाह निवासी ग्राम गंगापुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
- 3-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.

— प्रतिवादीगण

( वादी द्वारा-अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर )  
( प्रतिवादी क्रं0 1 एवं 2 द्वारा अधिवक्ता श्री ए0के0 राणा )  
( प्रतिवादी क्रं0 3 एकपक्षीय )

#### निर्णय

( आज दिनांक 18-12-2017 को घोषित )

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा गंगापुरा परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, सर्वे क्रमांक 1507 रकवा 0.09, एवं सर्वे क्रमांक 1508 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.750 है0 की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा गंगापुरा परगना गोहद में भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, 1508 रकवा 0.01, एवं 1507 रकवा 0.09 कुल रकवा 0.750 स्थित है। उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वर्ष 1988 में वादीगण से चालीस हजार रुपये नगद प्राप्त कर वादीगण को दे दी थी एवं कभी भी विक्रय पत्र करने का वायदा किया था तथा वादीगण को मौके पर कब्जा करा दिया था तभी से वादीगण लगभग 25 वर्ष से निरंतर निर्विघ्न रूप से वादग्रस्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं।

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का हरकिस्मी कब्जा बर्ताव है। वर्ष 1988 के पश्चात से प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है ना ही उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर कभी खेती की है। वर्तमान में कृषि भूमि का भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के मन में बेईमानी आ गयी है इस कारण वह वादीगण के हक में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर रहे हैं एवं उक्त वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वर्ष 1988 में चालीस हजार रुपये प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि वादीगण को विक्रय की थी एवं घोरोवा में कभी भी बयनामा करने का आश्वासन दिया था तभी से वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर खेती होती हुई चली आ रही है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वर्ष 1988 में ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा दे दिया था तभी से वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त हो चुका है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 से कई बार विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कहा था परन्तु प्रतिवादीगण बयनामा करने के लिए टालटूल करते रहे हैं। दिनांक 12.06.13 को प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि को जोतने का प्रयास किया था। वादीगण के रोकने पर प्रतिवादीगण मारपीट करने पर आमादा हो गये थे। वादीगण ने तहसील न्यायालय में एस0डी0एम0 गोहद के समक्ष दिनांक 23 जनवरी 2013 को आवेदन पेश किया था जिसकी जांच विचाराधीन है तथा ग्राम गंगापुरा एवं इटायली में पंचायत भी की थी एवं पंचों ने वादीगण की बात को सही मानते हुए पंचनामा भी तैयार किया था जिसे प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर रहे हैं एवं लाठी के बल पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र रहन एवं विक्रय न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को कब्जा नहीं कराया है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 25.06.92 को पूर्व भूमि स्वामी रामकृष्ण, चोखीलाल, मंगलसिंह, करनसिंह, केसरीसिंह, मिट्ठूलाल, हेतराम, कण्ठोबाई, दीनानाथ, दौलतसिंह तोतारामसिंह से क्रय की थी तभी से प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं एवं राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज है। अतः वर्ष 1988 में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि विक्रय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि वर्ष 1988 में प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में कोई हित निहित नहीं था विवादित भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 1992 में क्रय की गयी थी। प्रतिवादीगण की वादीगण से विवादित भूमि विक्रय करने की कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रतिवादीगण वर्ष 1992 से वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी हैं। विवादित भूमि पर वादीगण ने कभी खेती नहीं की है। वादीगण ने दिनांक 22.06.13 को प्रतिवादीगण की मारपीट की थी जिसका मुकद्दमा वादीगण पर संचालित है। वादीगण द्वारा फर्जी पंचनामे तैयार किए गए हैं जो प्रतिवादीगण के मुकाबले व्यर्थ हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उसके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित

किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादीगण मौजा गंगापुरा परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, सर्वे क्रमांक 1507 रकवा 0.09, सर्वे क्रमांक 1508 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.750 के वर्ष 1988 से एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं ?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?
4. क्या प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है ?
5. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

6. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी अमरसिंह वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, 1508 रकवा 0.01, एवं 1507 रकवा 0.09 स्थित मौजा गंगापुरा को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वर्ष 1988 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रतिफल चालीस हजार रुपये नगद लेकर वादीगण को दे दी थी एवं वादीगण को मौके पर कब्जा करा दिया था तथा घोरोवा में बयनामा करने के लिए कह दिया था तभी से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर निरंतर खेती करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का हरकिस्मी कब्जा बर्ताव है। वर्ष 1988 के पश्चात प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है वर्तमान में भूमि की कीमतें बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी एवं लालच आ गया है इसलिए वह वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं कर रहे हैं तथा वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं। वादीगण लगभग 25 साल से वादग्रस्त भूमि पर काबिज हैं एवं खेती कर रहे हैं। अतः वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिए कहा गया परन्तु प्रतिवादीगण बयनामा करने में टालटूल करते रहे हैं। दिनांक 12.06.13 को प्रतिवादीगण ने जबरन लाठी कुल्हाड़ी से उनकी मारपीट की थी जिसका मामला संचालित है जब प्रतिवादीगण ने वादी को जबरन कब्जा करने एवं अन्यत्र विक्रय करने की धमकी दी थी तब वादीगण ने एस0डी0ओ0 महोदय गोहद को दिनांक 22.01.13 को आवेदन दिया था तथा गांव में पंचायत की थी एवं पंचनामा भी तैयार किया गया था। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 मानने को तैयार नहीं हुए थे। वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2012-13 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-3 एवं पंचनामा प्र0पी-7 भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता

सकता कि वर्ष 1988 में झगड़े वाली जमीन का मालिक कौन था एवं स्पष्ट किया है कि 28 साल पहले वादग्रस्त जमीन के मालिक रमेश और धनीराम थे जिनसे उसने जमीन खरीदी थी। वह नहीं बता सकता कि वर्ष 1992 में रमेश एवं धनीराम ने जमीन खरीदी थी। उसे जानकारी नहीं है कि वर्ष 1992 में प्रतिवादीगण ने रामकिशन, चोखीलाल, करनसिंह, केसरसिंह, मिटटूलाल, हेतराम, कण्ठोबाई वगैरह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय की थी। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रमेश एवं धनीराम वगैरह विवादित भूमि का लगान दे रहे हैं उनके पास रजिस्टर्ड बयनामा एवं भू-अधिकार ऋण पुस्तिका है एवं यह भी स्वीकार किया है कि खसरे में रमेश एवं धनीराम का नाम है।

8. वादी साक्षी श्रीराम वा0सा02 ने भी वादी अमरसिंह वा0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

9. प्रतिवादी रमेश कुशवाह प्र0सा01 ने वादीगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि का वह और उसका भाई धनीराम स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है उक्त भूमि से अमरसिंह वगैरह का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि उसने व धनीराम ने दिनांक 25.06.1992 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा रामकृष्ण, चोखीलाल, मंगलसिंह, करनसिंह, मिटटूलाल, दीनानाथ, दौलतसिंह इत्यादि से 25,500-रुपये में क्रय की थी तभी से वह और उसका भाई वादग्रस्त भूमि को जोत रहे हैं एवं शासन को लगान अदा कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि पर उन्हीं की खेती हो रही है उसने कभी भी वादग्रस्त भूमि चालीस हजार रुपये लेकर वादीगण को नहीं दी है। सन 1988 में वह और उसका भाई वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी नहीं थे। वर्ष 1988 में उसका वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपने अभिवचनों के समर्थन में वादीगण द्वारा मूल रजिस्ट्री प्र0डी-1, एवं अधिकार अभिलेख प्र0डी-2 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने वादग्रस्त जमीन वर्ष 1992 में खरीदी थी तभी से वह जमीन जोत रहा है। उक्त साक्षी ने वादीगण अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने वर्ष 1988 में वादीगण से चालीस हजार रुपये लेकर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को कब्जा दे दिया था।

10. प्रतिवादी साक्षी करनसिंह प्र0सा02 ने भी अपने शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि उसने एवं चोखीलाल, मंगलसिंह, करनसिंह, मिटटूलाल, दीनानाथ एवं दौलतसिंह ने वर्ष 1992 में रमेश एवं धनीराम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र0डी-1 द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रय की थी एवं बयनामा करने की दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर धनीराम तथा रमेश का कब्जा है तथा उन्हीं की खेती होती हुई चली आ रही है अमरसिंह वगैरह ने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं की है।

11. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि को वर्ष 1988 से जोत रहे हैं एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य है जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अमरसिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, 1508 रकवा 0.01, एवं 1507 रकवा 0.09 को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वर्ष 1988 में ज्येष्ठसुदी पूर्णिमा के दिन वादीगण से चालीस हजार रुपये प्रतिफल लेकर वादीगण को दे दी थी एवं घरोवा में कभी भी बयनामा करने की शर्त पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दे दिया था जबकि



प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों से इंकार किया गया है एवं यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि प्र०डी-1 के विक्रय पत्र द्वारा वर्ष 1992 में क्रय की गयी थी। वादी अमरसिंह वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा चालीस हजार रुपये प्रतिफल लेकर वर्ष 1988 में वादीगण को दे दी गयी थी परन्तु वादीगण द्वारा उनके पक्ष में वादग्रस्त भूमि क्रय करने संबंधी कोई संव्यवहार या कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार 100रुपये से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति की दशा में उक्त स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण लिखित एवं पंजीकृत दस्तावेज के बिना नहीं हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा वादीगण को वर्ष 1988 में वादग्रस्त भूमि हस्तांतरित की गयी थी। वादीगण द्वारा यद्यपि उक्त संबंध में प्र०पी-7 का पंचनामा प्रस्तुत किया गया है परन्तु सौ रुपये से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय पंजीकृत दस्तावेज के बिना नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में प्र०पी-7 के पंचनामे से वादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है एवं प्र०पी-7 के पंचनामे के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि विक्रय की थी।

13. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि प्र०डी-1 के विक्रय पत्र द्वारा वर्ष 1992 में क्रय की गयी थी। रमेश कुशवाह प्र०सा०1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने वर्ष 1992 में वादग्रस्त भूमि खरीदी थी। करनसिंह प्र०सा०2 जोकि प्र०डी-1 के विक्रय पत्र का विक्रेता है ने भी यह व्यक्त किया है कि उसने एवं चोखेलाल, मंगलसिंह, मिटटूलाल, दीनानाथ, एवं दौलतसिंह ने रमेश एवं धनीराम को वादग्रस्त भूमि प्र०डी-1 के विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की थी। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र०डी-1 का विक्रयपत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1621 रकवा 0.65, सर्वे क्रमांक 1507 रकवा 0.09, एवं सर्वे क्रमांक 1508 रकवा 0.01 क्रय किए जाने का उल्लेख नहीं है। यद्यपि प्र०डी-1 के विक्रय पत्र से यह दर्शित नहीं होता है कि उक्त विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि क्रय की थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र०डी-2 का अधिकार अभिलेख प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी धनीराम एवं रमेश के नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है।

14. वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से निरंतर निर्विघ्न रूप से खेती कर रहे हैं परन्तु वादी अमरसिंह वा०सा०1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी रमेश एवं धनीराम वगैरह ही विवादित भूमि का लगान दे रहे हैं तथा उनके पास रजिस्टर्ड बयनामा एवं भू-अधिकार ऋण पुस्तिका है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि खसरे में प्रतिवादी रमेश एवं धनीराम का नाम है। इस प्रकार वादी अमरसिंह वा०सा०1 द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी रमेश एवं धनीराम द्वारा ही वादग्रस्त भूमि का लगान दिया जा रहा है एवं राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादीगण का नाम ही वादग्रस्त भूमि पर अंकित है। जहां तक वादी साक्षी श्रीराम वा०सा०2 के कथन का प्रश्न है तो श्रीराम वा०सा०2 प्र०पी-7 के पंचनामे का साक्षी है एवं उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके सामने प्र०पी-7 का पंचनामा लिखा गया था परन्तु प्र०पी-7 के पंचनामे से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि विक्रय की गयी थी ऐसी स्थिति में वादी साक्षी श्रीराम वा०सा०2 के कथनों का भी कोई औचित्य नहीं है।

15. वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से काबिज होना बताया है जहां तक

उक्त बिन्दु पर आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी अमरसिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का लगान रमेश एवं धनीराम दे रहे हैं तथा राजस्व अभिलेखों में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का नाम अंकित है। जहां तक उक्त बिन्दु पर आई दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं अधिपत्य दर्शित हो।

16. वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं परन्तु वादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा जो प्र0पी-3 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण धनीराम का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित किया जाना चाहिए। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से काबिज होकर कृषि कार्य करना व्यक्त किया है परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से काबिज हैं। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र0डी-2 का अधिकार अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा जो प्र0पी-3 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में प्रतिवादी धनीराम का नाम अंकित है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य होना दर्शित हो ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1988 से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं।

17. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित नहीं है कि वादीगण मौजा गंगापुरा परगना गोहद में स्थिति वादग्रस्त भूमि सर्व क्रमांक 1621 रकवा 0.65, सर्व क्रमांक 1507 रकवा 0.09, एवं सर्व क्रमांक 1508 रकवा 0.01 के वर्ष 1988 से एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3

18. साक्ष्य की पुनरावृत्ति के रोकने के लिए उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

19. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक-4

20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य नहीं है एवं वादीगण ने कब्जा वापिसी की सहायता नहीं चाही है अतः प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि

वादीगण ने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य होना बताया है तथा वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादीगण ने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना अभिवचनित किया है अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद आधिपत्य वापिसी की सहायता ना चाहे जाने के कारण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### सहायता एवं व्यय

21. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

1. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 18-12-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)